न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :–हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्या:–236/09 दायर दिनांकः– 21.10.2009

जीसीएमएस नं. 2009/00160

उनवान

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डबलमेन्ट एण्ड इनपेस्टमेन्ट कोरपोरेशन सवाई माधोपुर जरिये वरि0 क्षेत्रीय प्रबन्धक रीको जे0आर0गुप्ता उम्र 50 साल पुत्र श्री जोधराम गुप्ता जाति महाजन हाल वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक रीको, सवाई माधोपुर

––वादी

बनाम

नगर पालिका हिण्डौन सिटी जरिये अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

––प्रतिवादीगण–03

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरस्ती एवं भूमि विभाजन

निर्णय दिनांकः– 12-7-24

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 136, 53 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में वादीगण एवं वादीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार–बार वादीगण एवं वादीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बाबजूद वादीगण एवं वादीगण वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण दिनांक 21.07.2011 से आज दिनांक तक जिरहवादी में विचाराधीन है। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण एवं वादीगण वकील प्रकरण को आगे चलाने में रूचि नहीं ले रहे है। वादीगण एवं वादीगण वकील द्वारा न्यायालय आदेशों की अवहेलना की जा रही है। अतः मुकदमा न0 236/09 राजस्थान स्टेट डवलमेंट सवाई माधोपुर बनाम नगर पालिका हिण्डौन आदेश 9 नियम 5 [illegible] के तहत अदम हाजिरी व अदम तकमील/पालना में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 12.07.2024 को खुले न्यायलय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.15 09:45:48 IST
Reason: SelfAttested